




Ⓢ



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/ 2014 निगरानी R- 3286- 1114

— असगर अली तनय मोहम्मद वसीर
निवासी तरहटी चिकान टोला रीवा
तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र.

..... आवेदक

बनाम

1. मोहम्मद मक्की तनय हाफिज अब्दुल
हमीद निवासी चिकान टोला रीवा
तहसील हुजूर रीवा म.प्र.
2. म.प्र. शासन

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय कलेक्टर जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 151/
अ-6अ/ निगरानी / 2009- 10 में पारित आदेश दिनांक 23.09.
2014 के विरुद्ध निगरानी समयावधि में प्रस्तुत।

श्रीमानजी,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत
है :-

1. यहकि, आवेदक द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला रीवा द्वारा प्रकरण
क्रमांक 151/अ-6-अ / 2009-10 निगरानी में पारित आदेश
दिनांक 23.09.2014 के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष
निगरानी प्रस्तुत की है।

2. यहकि आवेदक एवं अनावेदक एक हैं -

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक निगरानी-3286-तीन/2014

जिला रीवा

असगर

विरूद्ध

मोहम्मद मक्की

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-04-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 151/अ-6-अ/निगरानी/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 23-09-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. यह प्रकरण दिनांक 26-06-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे ।</p> <p style="text-align: right;"> (बी.एम.शर्मा) सदस्य</p>	

